संख्या– 1357/08–XIX–2/05 खाद्य/2004

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 13, मई, 2008

विषयः– राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण देहरादून हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निबन्धक, राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण के पत्र संख्या 121/रा0उ0वि0प्र0आ0/2008 दिनांक 29.01.2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 में राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में इस आदेश के निर्गत होने अथवा नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, में दिनांक 28 फरवरी, 2009 तक के लिए बशर्ते कि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के इसके पूर्व समाप्त न कर दिए जाये, सृजित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण

क्रम सं0	पदनाम	अतिरिक्त पदों की संख्या	वेतनमान (रू0 में)
1.	लेखाकार	01	5500–175–9000
2.	अनुसेवक	01	2550–55–2660–60–3200

2. उपर्युक्त पदों पर वेतन के अलावा शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

3. उक्त पदों पर नियुक्ति आवश्यकतानुसार ही की जायेगी तथा लेखाकार के पद पर लेखा संगठन के सिद्धान्तों शैक्षिक योग्यता, प्रोन्नति प्रक्रिया हेतु निर्गत शासकीय मानकों के अधीन नियुक्ति/प्रोन्नति की जायेगी।

4. स्वीकृत पदों पर होने वाला व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता सम्बन्धी शासन के समय–समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. फर्नीचर आदि का क्रय पदधारक के मानकों के अनुसार नियमों की परिधि में ही किया जायेगा।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्यय की अनुदान संख्या–25, लेखाशीर्षक–3456 सिविल पूर्ति–00, आयोजनेत्तर–001, निदेशन तथा प्रशासन–04, उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम–00 के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7. निबन्धक, राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण देहरादून के स्टाफ कार हेतु वाहन चालक की व्यवस्था शासनादेश संख्या 550/07–XIX–2/23 बी0/117खाद्य/2003 दिनांक 15.01.2007 में दिए गये निर्देशानुसार उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 (उपनल) के माध्यम से शासनादेश के अनुरूप की जायेगी तथा इस हेतु भुगतान व्यवसायिक सेवा मद से किया जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 60(NP)/वित्त अनु0–5/2008 दिनांक 05 मई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव।

संख्या– 135 /08–XIX–2/05 खाद्य/2004 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेल नगर, देहरादून।
2. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निबन्धक, राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण, देहरादून।
7. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, खाद्य गढ़वाल संभाग, देहरादून।
8. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव।